

# प्रेस नोट थाना बाँसगांव दिनांक 18.03.2023

## देशी शराब के ठेके में फर्जी क्यू आर कोड लगाकर जलमिश्रित शराब बनाने के अपराध में अभियुक्त को गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी गोरखपुर के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बाँसगांव के मार्गदर्शन में विज्ञानकर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना बाँसगांव द्वारा मालहनपार स्थित देशी मदिरा की दुकान से विक्रेता द्वारा मिलावटी शराब बेचने की सूचना पर आबकारी विभाग की संयुक्त टीम के साथ दबिश देकर 225 पेटी व 42 पौव्वे बंटी बबली ब्रांड देशी मदिरा, 42 पौव्वे जलमिश्रित मदिरा, 9 पौव्वे नकली क्यू आर कोड युक्त मदिरा, 26 नकली ढक्कन, 56 नकली क्यू आर कोड, 38174रु, एक मोबाइल मय सिम के साथ अभियुक्त कमलेश राव पुत्र राम राव निवासी लोहेपार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर थाना बाँसगांव में मु0अ0सं0 141/2023 धारा 60/62 उ0प्र0 आबकारी अधि0 260,419,420,467,468,471 भादवि व 63/65 कॉपीराइट एक्ट पंजीकृत किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

कमलेश राव पुत्र श्री राम राव निवासी लोहेपार थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

### पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-141/2023 धारा-60/62उ0प्र0 आबकारी अधि0, 260,419,420,467,468,471 भादवि व 63/65 कॉपीराइट एक्ट थाना बाँसगांव जनपद गोरखपुर

### बरामदगी

225 पेटी व 42 पौव्वे बंटी बबली ब्राण्ड देशी मदिरा, 42 पौव्वे जलमिश्रित मदिरा, 09 पौव्वे नकली क्यू आर कोड मुक्त मदिरा, 26 नकली ढक्कन, 56 नकली क्यू आर कोड, रु38,174/-, एक अदद मोबाइल मय सिम

### गिरफ्तारी में शामिल टीम-

1. प्र0नि0 विज्ञानकर सिंह थाना बाँसगांव जनपद गोरखपुर
2. उपेन्द्र सिंह, आबकारी निरीक्षक जनपद गोरखपुर
3. ज्ञान प्रताप सिंह अतिरिक्त आबकारी निरीक्षक, जनपद गोरखपुर
4. मधुसूदन सिंह आबकारी आरक्षी जनपद गोरखपुर
5. अशोक कुमार सिंह आबकारी आरक्षी जनपद गोरखपुर
6. का0 अनिल यादव थाना बाँसगांव गोरखपुर
7. का0 मोहित कुमार सिंह थाना बाँसगांव गोरखपुर
8. का0 चन्दन कुमार प्रसाद थाना बाँसगांव गोरखपुर